392
14/9/12

खण्ड : 10 संख्या : 2

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(दशम् सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 30 जनवरी 1989 ई०

उद्योग को चालू कराना

164. श्री रघुपति गोप : क्या मंत्री उद्योग विभाग यह बतलाने की कुपा करेंगे कि सरकार रोहतास जिला के डालमिया उद्योग समूह के कब तक चालू करना चाहता है, नहीं तो क्यों?

श्री रामानन्द यादव : सरकार पुर्नवास के लिये सक्रीय है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय में आंशिक सुनवाई हो चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में इसके पुर्नवास पर विचार किया जायेगा। बी.आई.एफ.आर. से प्रतिवदेन के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योग सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। बिहार एवं भारत सरकार ने एक ज्वाईन्ट पेकेज रिहैबिलिवेशन प्रोग्राम रखा है। जिसके द्वारा ऐससेप्टस तथा सिमेन्ट इकाईयों के पुर्नवास का प्रस्ताव दिया गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में इसके पुर्नवास पर कार्रवाई की जायेगी।

श्री मजुमदार का स्थानान्तरण

165. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा : क्या मंत्री, कार्मिक एवं

श्री भागवत झा आजाद :